

**ई-गवर्नेन्स सोसाईटी केलांग, जिला लाहौल स्पिति का अंकेक्षण एवं निरीक्षण  
प्रतिवेदन  
अवधि 9/2005 से 3/2015**

**1 प्रारम्भिक**

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या TPT-F(1)-3/2000-e-Governance दिनांक 3.9.2005 के दृष्टिगत, ई-गवर्नेन्स सोसाईटी केलांग के अवधि 9/2005 से 3/2015 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा 26.9.2015 से 6.10.2015 के दौरान केलांग में किया गया। ई-गवर्नेन्स सोसाईटी जिला लाहौल स्पिति का गठन सभाएं पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के अन्तर्गत दिनांक 30.3.2007 को पंजीकरण संख्या 1/L & S/2007 के अन्तर्गत हुआ, परन्तु उपमण्डल केलांग द्वारा ई-गवर्नेन्स का कार्य पंजीकरण से पहले ही आरम्भ करने के कारण ई-गवर्नेन्स का कार्य आरम्भ करने की वास्तविक दिनांक की सूचना प्राप्त करने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2015-162, दिनांक 28.9.2015 द्वारा उपमण्डल अधिकारी से अनुरोध किया गया। इस सन्दर्भ में सोसाईटी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 3.9.2005 से 31.3.2015 का अंकेक्षण किया गया। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जांच हेतु माह 10/05, 2/07, 7/07, 11/08, 10/09, 1/11, 10/11, 9/12, 10/13 व 1/15 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 12/05, 5/06, 5/07, 6/08, 10/09, 7/10, 2/12, 12/12, 8/13 व 1/15 का चयन किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी के अध्यक्ष एवं प्रभारी के पद पर कार्यरत रहे:-

| अध्यक्ष            | अवधि                  | प्रभारी                   | अवधि                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Sh. R. Selvam      | 9-7-05 to 14-6-07     | Sh. Rajiv Kumar           | 28-7-05 to 24-11-06  |
| Sh. A.S. Rathore   | 14-6-07 to 30-5-08    | Sh. J.K. Katoch           | 25-11-06 to 15-6-07  |
| Sh. C. Paulrasu    | 31-5-08 to 14-9-09    | Sh. Vinay Kumar           | 12-10-07 to 7-10-09  |
| Sh. Ritesh Chauhan | 19-9-09 to 18-2-11    | Sh. Virender Sharma       | 19-11-09 to 25-7-11  |
| Sh. Rajiv Shankar  | 19-2-11 to 2-5-12     | Sh. R.K. Thakur           | 25-7-11 to 7-9-12    |
| Sh. S.S. Guleria   | 3-5-12 to 30-1-13     | Sh. Prashant Sirkek       | 7-9-12 to 18-6-14    |
| Sh. B.S. Thakur    | 31-1-13 to 19-6-14    | Sh. Surjeet Singh Rathore | 18-6-14 to till date |
| Sh. H.R. Chauhan   | 19-6-14 to till date. |                           |                      |

(ग) यह अंकेक्षण प्रतिवेदन ई-गवर्नेन्स सोसाईटी केलांग द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त सोसाईटी द्वारा प्रदान किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा

सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवारी लेने से इनकार करता है।

#### (घ) गम्भीर अनियमितताओं का सार

| क्र० सं० | पैरा सं० | विवरण                                                                             | राशि (लाखों में)           |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.       | 4        | रोकड़ वही/लेखों का रख-रखाव नियमानुसार न करवाया जाना                               | विवरण पैरे में दिया गया है |
| 2.       | 5        | राजकीय कोष में राशि का जमा न करवाना                                               | 0.37                       |
| 3.       | 6        | सेवा शुल्क के रूप में कुल प्राप्त राशि में से रोकड़ वही में राशि कम इन्द्राज करना | 0.10                       |

## 2 अंकेक्षण शुल्क

ई-गवर्नेन्स सोसाईटी केलांग के अवधि 9/2005 से 3/2015 के लेखों के हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर कुल ₹8000 आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशित, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, मिला को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अध्याचना संख्या: VD(211)-171, दिनांक 5.10.2015 द्वारा उप-मण्डल अधिकारी (न०) एवं प्रभारी ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, केलांग से अनुरोध किया गया।

## 3 वित्तीय स्थिति

(क) ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, केलांग द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवाओं के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के ई-प्रमाण पत्र जारी करने से प्राप्त सेवा शुल्क को भी इकट्ठा एक ही रोकड़ वही में दर्ज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में अन्य स्रोत से प्राप्त राशियों को भी एक ही रोकड़ वही में दर्ज करके सम्पूर्ण राशि को भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता संख्या 11390254662 में जमा करवाया गया है तथा ई-गवर्नेन्स से प्राप्त सेवा शुल्क से पूरा व्यय भी एक ही खाते से किया गया है। अतः सोसाईटी द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण आय व व्यय की 9/2005 से 3/2015 की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट-“क” पर संलग्न है।

(ख) अंकेक्षण अवधि की वित्तीय स्थिति की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 ₹10488.01 का अन्त शेष था, जबकि रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.2015 ₹9488.01 का अन्त शेष है। इस सन्दर्भ में जांच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट-“क”-(ii) के अनुसार दिनांक 1.5.2009 से 6.10.2009 के दौरान रोकड़ में ₹1000 कम जमा करवाई गई थी। अतः आन्तरिक जांच के

उपरान्त ₹1000 का इन्द्राज रोकड़ वही करने पश्चात बैंक में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा आगामी अंकेक्षण के दौरान कृत कार्यवाही से अवगत करवाया जाए।

(ग) ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, केलांग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि में परिवहन विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित प्राप्त सेवा शुल्क का ई-प्रमाण की आय सहित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका माहवार विवरण **परिशिष्ट-“ख”** पर दिया गया है।

| क्र०<br>सं० | अवधि             | सेवा शुल्क |
|-------------|------------------|------------|
| 1           | 9/2005 से 3/2006 | 18090      |
| 2           | 4/2006 से 3/2007 | 18055      |
| 3           | 4/2007 से 3/2008 | 20085      |
| 4           | 4/2008 से 3/2009 | 22585      |
| 5           | 4/2009 से 3/2010 | 42450      |
| 6           | 4/2010 से 3/2011 | 43467      |
| 7           | 4/2011 से 3/2012 | 35590      |
| 8           | 4/2012 से 3/2013 | 69580      |
| 9           | 4/2013 से 3/2014 | 31470      |
| 10          | 4/2014 से 3/2015 | 76368      |

(घ) सोसाईटी द्वारा ई-प्रमाण जारी करने से प्राप्त आय जोकि परिवहन गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क के साथ इकट्ठी एक रोकड़ वही में दर्ज है, का विवरण देने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या VD(211)/2015-164 दिनांक 1.10.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। इस सन्दर्भ में उप-मण्डल अधिकारी द्वारा ई-प्रमाण से प्राप्त आय का विवरण **परिशिष्ट-“ग”** पर संलग्न है।

#### 4 रोकड़ वही/लेखों का रख-रखाव नियमानुसार न किया जाना

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0-एफ0(1)3/2000-ई-गवर्नेन्स दिनांक 3.9.2015 की धारा 3(ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार रोकड़ वही तथा लेखों का निर्माण सुनिश्चित करते हुए प्रति वर्ष Balance Sheet तैयार की जानी अपेक्षित थी, परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो रोकड़ वही का निर्माण सही ढंग से किया है और न ही लेजर बनाए गए हैं तथा न ही Balance Sheet तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त रोकड़ वही में प्रत्येक माह के अन्त में मासिक विवरण भी नहीं दिया गया है और न ही रोकड़ वही का निर्माण ई-गवर्नेन्स सोसाईटी जिला लाहौल स्पिति द्वारा निर्धारित फण्ड के नियम 6 व 7 के अनुसार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। अतः रोकड़ वही का निर्माण उक्त फण्ड के नियम 6 व 7 के अनुसार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिसके अनुसार रोकड़ वही में प्रत्येक माह में प्राप्त कुल आय तथा व्यय का विवरण देने के उपरान्त अन्त शेष का भी विवरण देकर हस्तगत राशि से

सम्बन्धित प्रमाण पत्र व बैंक में जमा राशि का विवरण भी दिया जाना तथा रोकड़ वही के शेष का बैंक से मिलान किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त भविष्य में जब कभी भी रोकड़ वही में किसी इन्द्राज को ठीक करना है तो पुरानी प्रविष्टि को काट कर व नई प्रविष्टि पुनः लिखकर तथा उसे सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर इसको पुनः दर्ज किया जाए। रोकड़ वही की जांच में यह भी पाया गया कि रोकड़ वही को 5.10.2011 से 31.8.2012 तक सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करवाया गया है। अतः उक्त अवधि की रोकड़ वही को सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय को लम्बे अन्तराल के बाद रोकड़ वही में दर्ज किया गया तथा उक्त अवधि में प्राप्त आय को प्रतिदिन बैंक में जमा न करके, कार्यालय में रखा गया तथा एक लम्बे समय के बाद एक साथ बैंक में जमा करवाया गया। रोकड़ वही में एक अन्तराल के बाद दर्ज प्रविष्टियों व बैंक में जमा, दिनांक का विवरण निम्न प्रकार से है।

| क्र० सं० | रोकड़ वही पृ० सं० | दिनांक   | प्राप्त आय | जिस दौरान आय प्राप्त की गई | बैंक में जमा करने की दिनांक |
|----------|-------------------|----------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1        | 11                | 11.10.05 | 1350       | 01.10.05 से 11.10.05       | 11.10.05                    |
| 2        | 12                | 08.11.05 | 1200       | 27.10.05 से 08.11.05       | 08.11.05                    |
| 3        | 16                | 20.04.06 | 855        | 24.03.06 से 20.04.06       | 20.04.06                    |
| 4        | 17                | 01.07.06 | 4600       | 14.06.06 से 01.07.06       | 01.07.06                    |
| 5        | 19                | 27.02.07 | 6195       | 05.01.07 से 27.02.07       | 27.02.07                    |
| 6        | 20                | 06.07.07 | 2520       | 05.06.07 से 06.07.07       | 06.07.07                    |
| 7        | 21                | 25.08.07 | 2250       | 11.08.07 से 25.08.07       | 25.08.07                    |
| 8        | 21                | 20.09.07 | 1400       | 02.09.07 से 20.09.07       | 20.09.07                    |
| 9        | 22                | 08.05.08 | 3090       | 07.02.08 से 08.05.08       | 08.05.08                    |
| 10       | 22                | 09.06.08 | 2690       | 09.05.08 से 09.06.08       | 09.06.08                    |
| 11       | 23                | 26.11.08 | 7495       | 15.07.08 से 26.11.08       | 26.11.08                    |
| 12       | 24                | 20.04.09 | 2315       | 15.01.09 से 20.04.09       | 20.04.09                    |
| 13       | 24                | 06.10.09 | 27905      | 01.05.09 से 06.10.09       | 06.10.09                    |
| 14       | 26                | 12.10.10 | 17440      | 15.05.10 से 12.10.10       | 12.10.10                    |
| 15       | 26                | 16.05.11 | 2310       | 11.02.11 से 16.05.11       | 19.05.11                    |
| 16       | 27                | 24.08.11 | 3980       | 01.07.11 से 31.07.11       | 24.08.11                    |
| 17       | 27                | 04.10.11 | 7180       | 01.09.11 से 30.09.11       | 04.10.11                    |
| 18       | 29                | 02.06.12 | 7140       | 10.05.12 से 02.06.12       | 02.06.11                    |
| 19       | 32                | 04.12.12 | 3970       | 02.11.12 से 04.12.12       | 04.12.12                    |
| 20       | 34                | 03.04.13 | 1970       | 05.02.13 से 03.04.13       | 03.04.13                    |
| 21       | 35                | 02.07.13 | 7290       | 08.06.13 से 02.07.13       | 02.07.13                    |
| 22       | 36                | 10.10.13 | 17650      | 03.07.13 से 10.10.13       | 10.10.13                    |

|    |    |          |       |                      |          |
|----|----|----------|-------|----------------------|----------|
| 23 | 38 | 13.01.15 | 67000 | 11.10.13 से 22.11.13 | 13.01.15 |
| 24 | 39 | 09.02.15 | 1470  | 01.01.15 से 31.01.15 | 09.02.15 |

## 5 राजकीय कोष में ₹37125 का कम जमा करवाया जाना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0-एफ0(1)3/2000- ई-गवर्नेन्स दिनांक 3.9.2005 के पैरा संख्या 3(बी0) के अनुसार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त गया कि कुल वसूलियों का 25% भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। जांच में पाया गया कि सोसाईटी द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि 9/2005 से 3/2015 के दौरान परिवहन गतिविधियों से सेवा शुल्क के रूप में ₹355925 की वसूली की गई थी तथा निम्न विवरणानुसार उक्त आय का 25% भाग की ₹88983 का राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

| क्र0 सं0 | अवधि               | कुल प्राप्त आय | ई-प्रमाण से प्राप्त आय | परिवहन गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क | राजकीय कोष में जमा करने हेतु 25% भाग |
|----------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | 9/05 से 3/06       | 18090          | —                      | 18090                                   | 4523                                 |
| 2        | 2006-07            | 18055          | —                      | 18055                                   | 4514                                 |
| 3        | 2007-08            | 20085          | 335                    | 19750                                   | 4938                                 |
| 4        | 2008-09            | 22585          | 2130                   | 20455                                   | 5114                                 |
| 5        | 2009-10            | 45450          | 5355                   | 37095                                   | 9274                                 |
| 6        | 2010-11            | 43467          | 7580                   | 35887                                   | 8972                                 |
| 7        | 2011-12            | 35590          | 4210                   | 31380                                   | 7845                                 |
| 8        | 2012-13 से 2014-15 | 177418         | 2205                   | 175213                                  | 43803                                |
|          |                    |                |                        | कुल                                     | ₹88983                               |

परन्तु ई-गवर्नेन्स सोसाईटी केलांग द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्न विवरणानुसार केवल मात्र ₹51858 ही राजकीय कोष में जमा करवाई गई।

| क्र0 सं0 | रोकड़ वही पृ0 सं0 | दिनांक   | चालान सं0/दिनांक | राशि       |
|----------|-------------------|----------|------------------|------------|
| 1        | 28                | 21.02.12 | N.A              | 8545       |
| 2        | 32                | 10.12.12 | N.A              | 17150      |
| 3        | 38                | 28.01.15 | 1/28.01.15       | 26163      |
|          |                   |          |                  | कुल ₹51858 |

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार राजकीय कोष में ₹88983-₹51858=₹37125 कम जमा करवाई गई, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा कम जमा करवाई गई राशि को अविलम्ब राजकीय कोष में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार ही राशि को राजकीय कोष में

जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि सोसाईटी द्वारा वसूली गई सेवा शुल्क की राशियों को उक्त विवरणानुसार समय पर राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया है, जबकि प्राप्त शुल्क को वसूली वाले दिन या अगले कार्य दिवस में राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में वसूलो गई राशियों को नियमानुसार समय पर राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 6 सेवा शुल्क के रूप में कुल प्राप्त राशि में से ₹10046 को रोकड़ वही में कम दर्ज करने बारे

अंकेक्षणाधीन अवधि में चयनित मासों निम्नविवरणानुसार रोकड़ वही में ₹10046 कम दर्ज करवाई गई है।

| क्र० सं० | चयनित माह | प्राप्त आय की अवधि  | रोकड़ वही पृ० सं० | वाहन मद से आय | सारथी मद से प्राप्त आय | कुल प्राप्त आय | रोकड़ वही में दर्ज आय | रोकड़ वही में कम दर्ज आय |
|----------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 1        | 9/2012    | 1.8.12 से 31.8.12   | 31                | 1700          | 11440                  | 13140          | 12310                 | 830                      |
| 2        | 10/2013   | 1.7.13 से 30.9.13   | 36                | 6900          | 11470                  | 18370          | 17650                 | 720                      |
| 3        | 1/2015    | 1.10.13 से 31.12.14 | 37 व 38           | 42026         | 40350                  | 82376          | 73880                 | 8496                     |
|          |           |                     |                   |               |                        |                | <b>याग</b>            | <b>₹10046</b>            |

अतः उपरोक्त अवधि में प्राप्त सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय की पुनः जांच करके रोकड़ वही में इस जमा ₹10046 को रोकड़ वही में दर्ज करने के अतिरिक्त अन्य मासों में भी सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त सम्पूर्ण राशि की जांच रोकड़ वही तथा बैंक में जमा की गई राशि से की जाए, तदनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 7 सेवा शुल्क की प्राप्ति से सम्बन्धित वाउचर जांच हेतु उपलब्ध न करवाना

सोसाईटी द्वारा चयनित मासों 10/2005 व 2/2007 में प्राप्त सेवा शुल्क के सम्बन्धित वाउचर जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। उक्त आय के वाउचरों को उपलब्ध करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2015-168, दिनांक 3.10.2015 द्वारा अनुरोध किया गया, परन्तु सोसाईटी द्वारा आय वाउचर जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः माह 10/2005 व

2/2007 में प्राप्त सेवा शुल्क के वाउचरों को आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

## 8 सारथी मद से प्राप्त सेवा शुल्क से सम्बन्धित वाउचर जांच हेतु उपलब्ध न करवाना

सोसाईटी द्वारा माह 7/2007 व 11/2008 में सारथी मद से प्राप्त सेवा शुल्क के वाउचर जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। उक्त वाउचरों को उपलब्ध करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2015-168, दिनांक 3.10.2015 द्वारा अनुरोध किया गया, परन्तु सारथी मद के वाउचर जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करते हुए सारथी मद से सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय के वाउचरों को जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि कुल प्राप्त सेवा शुल्क की आय व रोकड़ वही में दर्ज आय का मिलान सम्भव हो सके।

| क्र० सं० | चयनित माह | रोकड़ वही पृ० सं० | प्राप्त आय की अवधि  | रोकड़ वही में दर्ज आय | वाहन मद से प्राप्त आय | सारथी मद से प्राप्त आय |
|----------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1        | 7/2007    | 20                | 1.6.07 से 18.7.07   | 4720                  | 2600                  | N.A                    |
| 2        | 11/2008   | 23                | 14.7.08 से 26.11.08 | 7495                  | 5100                  | N.A                    |

## 9 राजकीय कोष में जमा राशियों के चालान जांच हेतु उपलब्ध न करवाना

सोसाईटी द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में राजकीय कोष में निम्न विवरणानुसार जमा राशियों से सम्बन्धित चालान जांच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए, जबकि चालानों को जांच हेतु उपलब्ध करवाने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2015-163, दिनांक 30.9.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। अतः इन चालानों को आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि रोकड़ वही से निकाली गई राशियों का सत्यापन सम्भव हो सके।

| क्र० सं० | रोकड़ वही पृ० सं० व दिनांक | राजकीय कोष में जमा राशि |
|----------|----------------------------|-------------------------|
| 1        | 28/21.2.2012               | 8545                    |
| 2        | 32/10.12.2012              | 17150                   |

## 10 राजकीय कोष में 25% भाग की राशि को Head 0041 के स्थान पर Head 1055 में जमा करवाया जाना

सोसाईटी द्वारा दिनांक 28.1.2015 को ₹26163 राजकीय कोष में Head 0041 के स्थान पर Head 1055 में जमा करवाई गई है, जबकि निदेशक, परिवहन के पत्र संख्या: 7-1(189)/2011,

दिनांक 17.11.2011 के अनुसार 25% भाग की राशि Head 0041 में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी। अतः उक्त राशि Head 1055 में राशि को जमा करवाने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इस प्रकरण में अब अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाते हुए अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 11 भुगतान की गई राशि की रसीदें प्रस्तुत न करना

अंकक्षण अवधि के चयनित मासों के व्ययों की जांच करने पर पाया गया कि ई-गवर्नेन्स सोसाईटी केलांग द्वारा अध्यक्ष ई-गवर्नेन्स सोसाईटी जिला लाहौल स्पिति को निम्न विवरणानुसार विभिन्न राशियों का भुगतान किया गया है, परन्तु इनके भुगतान प्राप्ति से सम्बन्धित रसीदें अंकक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।

| क्र० सं० | रोकड़ वहीं पृ० सं० व दिनांक | चैक नं०  | भुगतान की गई राशि |
|----------|-----------------------------|----------|-------------------|
| 1        | 19 / 23.05.07               | 00581923 | 12061             |
| 2        | 23 / 25.06.08               | 00581926 | 17026             |
| 3        | 24 / 06.10.09               | 00581930 | 26248             |
| 4        | 26 / 13.01.11               | 67004    | 24230             |
| 5        | 28 / 25.02.12               | —        | 3000              |
| 6        | 31 / 10.12.12               | —        | 51400             |
| 7        | 38 / 24.01.15               | 67019    | 71490             |

अतः उक्त भुगतानों से सम्बन्धित वास्तविक रसीदें प्राप्त करके अंकक्षण को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी सुनिश्चित की जाए।

## 12 ई-गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा भुगतान की गई ₹6626 से सम्बन्धित वाउचरों को अंकक्षण हेतु उपलब्ध न करवाना

चयनित माहों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 13 पर दिनांक 2.12.2005 को ₹4426 का भुगतान व रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 20 पर दिनांक 26.05.2007 को ₹2200 का भुगतान किया गया दर्शाया गया है, परन्तु इन भुगतानों/व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए, जबकि इन वाउचरों को उपलब्ध करवाने हेतु अंकक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2015-170, दिनांक 5.10.2015 द्वारा भी अनुरोध किया गया, परन्तु सोसाईटी द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः उक्त व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचरों को आगामी अंकक्षण में उपलब्ध करवाया जाए।

## 13 स्टॉक रजिस्टर जांच हेतु उपलब्ध न करवाना



अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई अथवा सोसाईटी द्वारा प्राप्त किए गए विभिन्न सामान की स्टाक प्रविष्टियों की जांच हेतु सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए, जबकि इस सन्दर्भ में उप-मण्डल अधिकारी (न0) से अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2015-170, दिनांक 31.10.2015 द्वारा स्टॉक रजिस्टर को अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि में क्रय किए अथवा सोसाईटी द्वारा प्राप्त प्रत्येक सामान की प्रविष्टियां तथा खपत के विवरण के सम्बन्धित प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध करवाए जाने सुनिश्चित किए जाए।

#### 14 विविध

ई-गर्वनेस सोसाईटी (RLA) केलांग निधि से केन्द्रीय ईकाई लाहौल स्पिति को समय-समय पर भेजी गई 25% हिस्से की राशि तथा केन्द्रीय ईकाई लाहौल स्पिति में समय-समय पर (RLA) केलांग को भेजी गई राशि तथा स्टॉक की अन्य मदों मिलान केन्द्रीय ईकाई से मिलान नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

#### 15 लघु आपत्ति विवरणिका:—यह अलग से जारी नहीं की गई थी।

#### 16 निष्कर्ष:— लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-  
उप निदेशक  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)56/2015 खण्ड-1-1619-1622 दिनांक 10.03.2016, शिमला-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत:—**
- 1 उप मण्डल अधिकारी नागरिक एवं सचिव केलांग जिला लाहौल-स्पिति हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
  - 2 जिलाधीन एवं अध्यक्ष ई-गर्वनेस सोसाईटी केलांग, जिला लाहौल स्पिति (हि0प्र0)
  - 3 निदेशक, परिवहन विभाग हि0प्र0 शिमला-171003
  - 4 विधि सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला-171002

हस्ता/-  
उप निदेशक  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.